भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्या:\* 239**

**बुधवार, 08 अगस्त, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**व्यवसाय करने में सहजता (ईज ऑफ डूइंग बिज़िनेस) पर माल और सेवा कर का प्रभाव**

**ता.प्र.सं.\* 239. श्री जी.सी. चन्द्रशेखरः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या माल और सेवा कर के कार्यान्वयन से भारत में व्यवसाय करने में सहजता (ईज ऑफ डूइंग बिज़िनेस) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या मंत्रालय ने व्यवसाय करने में सहजता लाने के लिए माल और सेवा कर को सरल बनाये जाने हेतु हितार्थियों से परामर्श किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री**

**(श्री सुरेश प्रभु)**

**(क) और (ख):**  एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**दिनांक 08.08.2018 को उत्‍तर के लिए नियत राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 239 के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण:**

**(क):** जी, नहीं। इसके विपरीत, जीएसटी से करदाताओं का अनुपालना बोझ कम हुआ है तथा इससे देश में निवेश-अनुकूल परिवेश का सृजन हुआ है। अनेक प्रकार के करों में कमी तथा कमतर एग्‍जेम्‍पशन्‍स के साथ आसान कर व्‍यवस्‍था के परिणामस्‍वरूप, अप्रत्‍यक्ष कर व्‍यवस्‍था में एकरूपता आई है। करदाताओं के पंजीकरण हेतु एकसमान प्रक्रियाओं, करों के रिफंड, कर रिटर्न हेतु एकसमान प्रपत्र, कॉमन टैक्‍स बेस, माल तथा सेवा वर्गीकरण की एकसमान व्‍यवस्‍था के परिणामस्‍वरूप कराधान प्रणाली के लिए अधिक निश्‍चितता बनी है।

**(ख):** जी, हां। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने जीएसटी मुद्दे के संबंध में विभिन्‍न स्‍टेकहोल्‍डरों के साथ परामर्श किया है तथा उनसे प्राप्‍त फीडबैक, राजस्‍व विभाग को प्रेषित किया गया है। प्रक्रियात्‍मक विषयों यथा रिटर्न संख्‍या तथा रिपोर्टिंग, दायर रिटर्न पावती, ऋण वितरण हेतु प्रपत्र की उपलब्‍धता आदि, विनियामक मुद्दे यथा ई-वे बिल का प्रावधान, वर्गीकरण एवं नामकरण की एकसमान प्रणाली (एचएसएम) कोड, कर-दरें, अंतरराज्‍यीय माल आपूर्ति पंजीकरण, बहुविध सीजीएसटी पूल, मुनाफाखोरी-रोधी उपबंध आदि के संबंध में सुझाव प्राप्‍त हुए थे।

**II.** इसके अलावा, विभिन्‍न व्‍यापार तथा उद्योग निकायों, वाणिज्‍य चैम्‍बरों तथा अन्‍य हितार्थियों से व्‍यापार सहजता को कार्यक्षम बनाने के लिए जीएसटी के सरलीकरण हेतु वित्‍त मंत्रालय में अनेक प्रतिवेदन प्राप्‍त हुए हैं।

प्राप्‍त सुझावों के आधार पर, जीएसटी परिषद द्वारा निम्‍नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

1. अंतरराज्‍यीय आपूर्ति करने वाले सेवा प्रदायकों जिनका कुल वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपये से कम है, उन्‍हें अधिसूचना सं. 10/2017 – एकीकृत कर दिनांक 13.10.2017 के माध्‍यम से जीएसटी के तहत पंजीकरण अपेक्षा से छूट प्रदान की गई है।
2. अग्रिम प्राधिकार (एए)/निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्‍तुएं (ईपीसीजी) तथा निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) के धारकों के लिए स्‍वदेशी आपूर्तियों को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 147 के तहत निर्यात माना जाता है तथा ऐसी आपूर्तियों पर किए गए कर भुगतान का रिफंड, आपूर्तिकर्ता अथवा प्राप्‍तकर्ता को प्रदान किया जाएगा।
3. किसी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्यात हेतु किसी निर्यातक व्‍यापारी को कर-योग्‍य वस्‍तुओं की आपूर्ति पर 0.1% की दर से जीएसटी लगेगा। इस प्रावधान को अधिसूचना सं. 40/2017- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 23.10.2017 के तहत लागू किया गया है। इस प्रावधान से निर्यातकों के लिए पूंजीगत ब्‍लॉकेज में कमी आएगी।
4. वस्‍तुओं की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्‍यक्‍तियों को अब अग्रिम प्राप्‍ति की बजाए बीजक जारी करते समय कर का भुगतान करना होगा। इसे अधिसूचना सं. 66/2017- केंद्रीय कर दिनांक 15 नवम्‍बर, 2017 के तहत कार्यान्‍वित किया गया है।
5. करदाता एक ही राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में अनेक स्‍थानों पर अवस्‍थित व्‍यापार के संबंध में राज्‍य अथवा संघ राज्‍य क्षेत्र में बहु-पंजीकरण हेतु विकल्‍प ले सकते हैं।
6. केंद्रीय वस्‍तुएं तथा सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप-धारा (4) तथा एकीकृत माल तथा सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (4) के तहत रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म के प्रावधानों को 30.09.2019 तक निलम्‍बित रखा गया है।
7. कम्‍पोजिशन डीलरों को पूर्ववर्ती वर्ष में कुल कारोबार के 10% से अनधिक मूल्‍य अथवा 5 लाख रुपये, जो भी अधिक हो, हेतु सेवाओं की आपूर्ति (रेस्‍त्रां सेवाओं को छोड़कर) की अनुमति होगी।
8. पूर्ववर्ती वर्ष में 5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले करदाताओं को लघु व्‍यापारी माना जाएगा तथा उनको स्‍वयं-प्रमाणन आधार पर मासिक कर भुगतान के साथ तिमाही रिटर्न भरने की सुविधा प्राप्‍त होगी। ऐसे करदाताओं के लिए, एक आसान रिटर्न सहज एवं सुगम डिजाइन किया गया है। उन करदाताओं जिनकी किसी वित्‍तीय वर्ष की किसी तिमाही में कोई खरीद नहीं है, प्रतिफल कर-दायित्‍व तथा इनपुट टैक्‍स क्रेडिट की प्राप्‍ति नहीं हैं, द्वारा समग्र तिमाही हेतु एक शून्‍य रिटर्न भरनी अपेक्षित होगी।
9. अंतरराज्‍यीय माल ढ़ुलाई के लिए 01 अप्रैल, 2018 से एक देशव्‍यापी ई-वे बिल सिस्‍टम की शुरूआत की गई है जिसमें राज्‍यों को इंट्रास्‍टेट आपूर्तियों के लिए ई-वे बिल सिस्‍टम शुरू करने के लिए 03 जून, 2018 तक विकल्‍प चुनने हेतु समय दिया गया है। परिणामस्‍वरूप, सभी राज्‍यों ने 16 जून, 2018 से इंट्रास्‍टेट आपूर्तियों के लिए ई-वे बिल सिस्‍टम को अधिसूचित कर दिया है। ई-वे बिल सिस्‍टम की वजह से दस्‍तावेजी परेशानी तथा राज्‍य सीमा चेक-पोस्‍टों पर लम्‍बे इंतजार के बिना राज्‍य की सीमाओं से बाहर माल की आवाजाही संभव हुई है। ई-वे बिल के लिए किसी कर अधिकारी अथवा चेक-पोस्‍ट के चक्‍कर लगाने की जरूरत नहीं है क्‍योंकि इसे कॉमन पोर्टल पर किसी भी समय आसानी से प्राप्‍त किया जा सकता है।

**III.** इसके अलावा, जीएसटी को आसान तथा व्‍यापार अनुकूल बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्‍नलिखित प्रयास किए गए हैं:-

1. 27 राज्‍यों (जम्‍मू कश्‍मीर तथा उत्‍तराखंड सहित) के लिए कम्‍पोजिशन स्‍कीम के अंतर्गत पात्रता सीमा के संबंध में कुल वार्षिक कारोबार वृद्धि को 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
2. जम्‍मू कश्‍मीर तथा उत्‍तराखंड को छोड़कर, विशेष श्रेणी राज्‍यों (संविधान के अनुच्‍छेद 279-क के खंड 4 के उप-खंड (जी) में यथाविहित) के लिए कम्‍पोजिशन स्‍कीम के अंतर्गत पात्रता सीमा के संबंध में कुल वार्षिक कारोबार वृद्धि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया है।
3. पूर्ववर्ती वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं को तिमाही रिटर्न भरने का विकल्प उपलब्‍ध कराया गया है।
4. विनिर्माताओं तथा व्‍यापारियों के लिए कम्‍पोजिशन स्‍कीम के अंतर्गत 1% के हिसाब से एकसमान कर-दर। व्‍यापारियों के लिए कम्‍पोजिशन स्‍कीम हेतु पात्रता के लिए कर योग्‍य माल कारोबार की गणना की जाएगी।
5. कम्‍पोजिशन करदाता द्वारा छूट प्राप्‍त सेवाओं की आपूर्ति की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा इसको कुल कारोबार का हिसाब करते समय शामिल नहीं किया जाएगा।
6. एक करदाता द्वारा, जिसकी माहवार कर देयता ‘शून्‍य’ थी, जीएसटीआर-3बी फॉर्म रिटर्न दायर करने में विलम्‍ब हेतु देय विलम्‍ब शुल्‍क राशि को अक्‍तूबर, 2017 से प्रत्‍येक अधिनियम के तहत अधिकतम 5000/- रुपये के अध्‍यधीन, घटाकर 20 रुपये प्रतिदिन (सीजीएसटी एवं एसजीएसटी, प्रत्‍येक के तहत 10 रुपये प्रतिदिन) कर दिया गया है।
7. अन्‍य करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-3बी फॉर्म में रिटर्न दायर करने में विलम्‍ब हेतु देय विलम्‍ब शुल्‍क राशि को अक्‍तूबर, 2017 से प्रत्‍येक अधिनियम के तहत अधिकतम 5000/- रुपये के अध्‍यधीन घटाकर 50 रुपये प्रतिदिन (सीजीएसटी एवं एसजीएसटी प्रत्‍येक के तहत 25 रुपये प्रतिदिन) कर दिया गया है।
8. जीएसटीआर-3बी रिटर्न को मार्च, 2018 तक चालू रखते हुए करदाताओं द्वारा रिटर्न दायर करने को आसान बनाया गया है। जीएसटीआर-2 एवं जीएसटीआर-3 रिटर्न्‍स दायर किए जाने को अगली सूचना तक आस्‍थगित रखा गया है।

**IV.** सरकार ने जीएसटी के बेहतरीन कार्यान्‍वयन तथा विभिन्‍न स्‍टेकहोल्‍डरों द्वारा व्‍यक्‍त दिन-प्रतिदिन की समस्‍याओं का समाधान करने के लिए अनेक प्रो-एक्‍टिव कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ निम्‍नलिखित हैं:-

1. करदाताओं के मार्गदर्शन हेतु प्रत्‍येक जीएसटी कार्यालय में सेवा केंद्र खोले गए हैं।
2. जीएसटी के कार्यान्‍वयन की निगरानी करने तथा करदाताओं से फीडबैक प्राप्‍त करने के लिए प्रत्‍येक जिले हेतु नोडल अधिकारियों के रूप में संयुक्‍त सचिव स्‍तर के अधिकारियों की नियुक्‍ति की गई है।
3. ग्राहकों को घटे जीएसटी का फायदा नहीं देने वाले मामलों की निगरानी करने के लिए एक राष्‍ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण का गठन किया गया है।

**V.** सरकार द्वारा जीएसटी कानूनों तथा प्रक्रियाओं के बारे में करदाताओं को शिक्षित करने के लिए मीडिया (प्रिंट/वॉयस/विजुअल) में नियमित रूप से विज्ञापन दिया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार द्वारा इस संबंध में करदाताओं को शिक्षित करने के लिए अनेक कार्यशालाएं तथा टाउन हॉल बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, जीएसटी कानूनों, नियमों तथा कर-दरों से संबंधित सूचना का प्रचार करने हेतु सोशल मीडिया (ट्वीटर) का भी व्‍यापक रूप से इस्‍तेमाल किया गया है। सरकार द्वारा जीएसटी कानूनों, प्रक्रियाओं तथा कर-दरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्‍न विषयों के संबंध में एफएक्‍यू जारी किए गए हैं तथा सभी प्रमुख दैनिक अखवारों में छपवाए गए हैं।

\*\*\*\*\*\*